मिसिल संख्या 09-05/2019-एफईएस.ईएस(पार्ट 1)

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(एफई अनुभाग)

कमरा सं. 450, कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 31 मई, 2023

श्री नत्थूलाल कनौजिया
बगदाद ,पोस्ट-इश्वरपुर साई, वाई मल्लावां
जनपद-हरदोई ,उत्तर प्रदेश
मो0- 6388030179

विषय- **श्री नत्थूलाल कनौजिया की याचिका पंजीकरण संख्या DOEAS/R/T23/00059 दिनांक 15/05/2023 के सन्दर्भ में प्रेषित जानकारी ।**

महोदय,

कृपया दिनांक 10.01.2023 के अपने पत्र का संदर्भ ग्रहण करें जो कि लागत के आधार पर कृषि फसलों के लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से सम्बंधित है के हेतु इस प्रभाग से सम्बंधित जानकारी इस प्रकार है:

इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि सरकार, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफ़ारिशों के आधार पर राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों और अन्य संगत कारकों पर विचार करके गेहूं सहित 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) का निर्धारण करती है। एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी भूमि, जल एवं अन्य उत्पादन संसाधनों के युक्तिसंगत उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्पादन लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतराष्ट्रीय मूल्यों, अंतर फसल मूल्य समता, कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों, शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव एवं एमएसपी के सम्बन्ध में उत्पादन लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है।

2018-19 के केन्द्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुणा के स्तर पर रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, कृषि वर्ष 2018-19 से सरकार ने सभी अधिदेशित खरीफ, रबी एवं व्यवसायिक फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ बढ़ोतरी की थी।

भवदीया

(शिखा सिंह)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ
श्री अनुराग भटनागर, सहायक आर्थिक सलाहकार, कृषि भवन, नई दिल्ली